प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या– /ईपीडी0/बाढ प्रबन्धन दिशा–निर्देश/2017–18, दिनांक

विषय– बाढ़ आपदा से पशुधन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों एवं पशुक्षति से बचाव के लिए आपदा प्रबन्धन योजना बनाने के दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में नवीनतम 19वीं पशुगणना के अनुसार 7.36 करोड़ पशुधन है, जिसके कारण ही प्रदेश दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रतिवर्ष प्रदेश में मानसून आने के पश्चात् (बाढ़) की सम्भावना बन जाती है, जिससे चारे दाने की कमी एवं जल भराव से पशुधन का उत्पादन कम हो जाता है। विशेष स्थिति में संक्रामक रोग से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। मृत पशु के शव का समय से वैज्ञानिक आधार पर निस्तारण न होने से जूनोटिक रोग फैलने से मानव को प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्तमान में राज्य आपदा प्रबन्धन नीति–2005 लागू होने के पश्चात् नई नीति के तहत राहत केन्द्रित के बजाय आपदा प्रभावों को न्यूनीकरण करने के लिए बाढ़ के सम्भावित समय से पूर्व ही तैयारी की रणनीति बनायी गयी है। प्रत्येक वर्ष प्रदेश का काफी क्षेत्र बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित होता है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ विभिन्न नस्ल का पशुधन भी प्रभावित होता है। फसल नष्ट होने के कारण पशुओं के लिए भूसा/चारें की कमी हो जाती है। इसी के साथ–साथ बाढ़ एवं जल प्लावन के क्षेत्रों में पशुधन के विभिन्न जीवाणु/विषाणु/कवक जनित संक्रामक रोगों एवं पारजैविक बीमारियों से प्रभावित होने की सम्भावन बढ जाती है, जो अन्ततः उत्पादन में कमी लाकर पशुपालक की आय पर कुप्रभाव डालता है। पशु क्षति से प्रभावित होने पर पशुपालक को शासन द्वारा आपदा राहत धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था है। बेहतर आपदा प्रबन्धन प्लान तैयार कर पशुधन को क्षति से बचाया जा सकता है।

सम्भावित आपदा के पूर्व की तैयारियों से आपदा के प्रभाव को पशुधन में कम किया जा सकता है। अतः विगत वर्षो के बाढ़ अनुभवों के आधार पर आंकलन कर प्रारम्भिक बाढ़ राहत सम्बन्धी कार्य योजना तैयार कर ली जाय, जिसके लिए पूर्व में भी समय समय पर निर्देशित किया जा चुका है। बाढ़ के समय कार्य योजना में पशुधन प्रबन्धन एवं राहत शिविर हेतु मानव संसाधन का डाटा भी सम्मिलित कर विस्तृत प्लान तैयार करें। स्थानीय अनुभवों को भी शामिल कर लिया जाय, प्लान को तीन खण्डों में तैयार करें :–

1– बाढ से पूर्व तैयारी
2– बाढ़ के दौरान की तैयारी
3– बाढ़ के पश्चात् की व्यवस्था

आपदा प्रबन्धन प्लान के मुख्य अवयव–

(1) बाढ़ आने से पूर्व क्या करें– आपदा पूर्व तैयारी जितनी अच्छी होगी, बाढ़ के दौरान कियान्वयन में उतनी कम कठिनाई आयेंगी, गत वर्ष के अनुभव एवं कियान्वयन में कठिनाई का अध्ययन कर योजना बनाना उचित रहेगा, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न है, जिन पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

(क)– पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना– इस हेतु पशुधन को पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिये जिलाधिकारी के साथ समन्वय कर व्यवस्था करवायें।

(ख)– भूसा/साइलेज की व्यवस्था– आपदा के समय राशन एवं चारे का भाव बढ़कर दुगुना–चौगना हो जाता है तथा यातायात के साधन के अभाव में भूसा परिवहन कठिनता से होता है। भूसा व्यापारी से वार्ता कर

अनुमानित मांग के सापेक्ष आपूर्ति की व्यवस्था का विकल्प तैयार कर लें, पूर्व आकलन से फाडर ब्लाक निकटवर्ती उपलब्धता का स्थान की जानकारी कर लेवें। पशु हेतु मेन्टीनेन्स राशन की जानकारी होना आवश्यक है। पशुधन क्षेत्रों में एवं कृषि क्षेत्रों के भूसे की उपलब्धता की जानकारी सम्बन्धित प्रक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर ज्ञात कर लेवे तथा आवश्यकतानुसार इन प्रक्षेत्रों से अतिरिक्त भूसा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। उपयुक्त होगा कि अभी से ही भूसे की पशुधन हेतु आवश्यकता मात्रा का आंकलन कर सम्बन्धित प्रक्षेत्रों में आरक्षित करा ले। इसके अलावा भूसे की आकस्मिक आवश्यकताओं की पर्ति हेतु जनपद में उपलब्ध भूसा व्यापारियों की सूची एवं पता तथा फोन नम्बर आदि की सूची तैयार कर ली जाय तथा उनकी जिलाधिकारी के साथ बैठक कराकर आपातकाल हेतु भूसा का भण्डारण कराने एवं आवश्यकता पडनें पर परिवहन कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित करली जाय। जनपद हेतु कम्प्रेस्ड फाडर ब्लाक की मांग से अपर निदेशक, गोधन विकास, निदेशालय को अवगत कराया जाय, ताकि समय से कार्यवाही की जा सके। विभागीय मण्डलीय अधिकारी अपने क्षेत्र के जनपदों में बाढ के दौरान राहत कार्यो के लिए सभी विभागीय ट्रक एवं जीप आदि की मरम्मत कराते हुए वाहनों को चालू हालत में रखना सुनिश्चित करें। आवश्यकता पडने पर जनपद के सम्बन्धित जिलाधिकारियों अथवा मुख्य विकास अधिकारी से चिकित्सा वाहन की व्यवस्था कराने का भी अनुरोध करें तथा पशुपालको को सेवायें उपलब्ध करायें। शासन की मंशा की अनुरूप पशुपालको से मित्रवत व्यवहार कर संवेदनशील होकर सहयोग प्रदान करें। दौरों/भ्रमण की सूचना निदेशालय को भी देवें।

(ग) पशुपालक को सुविधा के लिए पशुओं का चिन्हांकन –प्रायः देखा जाता है कि बाढ़ के दौरान पशु मृत्यु होने पर पशु का शव बाढ़ में बह जाता है और पशु शव पोस्टमार्टम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण पशु मालिक को राजस्व विभाग से राहत मिलने में कठिनाई होती है अथवा राहत नहीं मिल पाती है। इससे बचने के लिए बाढ़ सम्भावित समस्त गांवो में सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी से गांवों में पशु मालिक का नाम एवं उसके पास उपलब्ध सभी पशुओं यथा, गाय, भैंस, सूकर, बकरी, भेड़, बैल, ऊँट, घोडा, मुर्गी आदि का चिन्हांकन एवं सूचीकरण पशुमालिकवार उनकी संख्या के साथ पूर्व में ही रजिस्टर में करा लिया जाय, ताकि पशु शव न मिलने की स्थिति में राहत हेतु क्लेम फार्म प्रधान तथा पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित कराकर सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

(घ) राहत मानक – गृह मत्रांलय, भारत सरकार नवीनतम राहत मानक भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–1/दिनांक 8.4.2015 द्वारा जारी किये गये है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। दुधारू गाय–भैंस की मृत्यु पर रू0 30,000.00, बैल–घोड़ो के लिए रू0 25,000.00, बछडा, पडवा एवं गधा के लिए रू0 16,000.00, भेड, बकरी, सूकर आदि के लिए रू0 3000/– एवं कुक्कुट के लिए रू0 50.00 प्रति दर से अनुमन्यता है, जिसके बारे में इस कार्यालय के पत्र संख्या–622/ईपीडी0/2015–16 दिनांक 27.4.2015 द्वारा पूर्व में ही अवगत कराया गया है।

(1) बीमारी से बचाव/रोग नियन्त्रण

आप जानते है कि प्रति वर्ष बीमारी से हजारों की संख्या में पशुधन की क्षति होती है तथा लाखों रू0 का उत्पादन कम हो जाता है। बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण समय से कराया जाना आवश्यक है।

(क)– पशु रोग से बचाव का टीकाकरण– वर्षा शुरू होने से पूर्व जनपदों में बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित/सम्भावित क्षेत्रों के पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव हेतु प्राथमिकता के आधार पर रोस्टर से टीम के द्वारा टीकाकरण कार्य किया जाय, जिसके लिए समय से वैक्सीन प्राप्त कर पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध करा दी जाय। इस हेतु आप जनपदवार संकलित मांगपत्र निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ को प्रस्तुत करें ताकि मांग के अनुसार आवश्यक मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सम्बन्धित द्वारा की जा सके। इसी के साथ देय तिथि पर वैक्सीन बी0पी0 संस्थान से प्राप्त करना भी सुनिश्चित करें। समय से टीकाकरण करवाकर पशु को सुरक्षित किया जा सकता है।

(ख)– पशु चिकित्सा टीम का गठन– टीकाकरण के पश्चात् बीमारी का प्रभाव हो जावे तो गत वर्ष के बाढ प्रभावित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा दल का गठन कर कार्यवाही करने की व्यवस्था करना आवश्यक है। साथ ही इन्डेमिक रोगों/क्षेत्रों का चार्ट प्रत्येक जनपद एवं पशु चिकित्सालय में रखा जाय। पशु उपचार टीम द्वारा पूर्ण किया जाय, जिसके लिए चिकित्सा कैम्प में ही उपलब्ध करायी जाय।

(ग)– बाढ़ चौकी का प्रबन्धन – विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टोली का गठन कर बाढ सहायता कार्य के लिए किया जाय एवं प्रत्येक बाढ़ टोली के कार्य क्षेत्र निश्चित करते हुए बाढ़ चौकियों पर स्टाफ तैनात किया जाय। बाढ़ चौकियों पर जिन पशु चिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी, कर्मचारी को नामित किया जाय, उनका नाम, दूरभाष नम्बर सहित निदेशालय, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायें। बाढ़ चौकियों पर आवश्यकतानुसार जीवन रक्षक औषधि, वैक्सीन एवं दामा हेतु मरहम पटटी का सामान आदि उपलब्ध करायें, यदि बाढ टोलियों को निर्दिष्ट स्थानों तक पहुचाने की आवश्यकता पडती है, तो उसका भी खाका पहले से ही तैयार कर लें, वाहन आदि की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी से समन्वय कर व्यवस्था निश्चित कर लें। बाढ़ के समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर न दिया जाय और किसी भी समय बुलाने हेतु सम्पर्क पता एवं दूरभाष नं0 नोट करना भी प्लान का अंग है।

(घ)– औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्था– बाढ़ के दृष्टिगत विभागीय संस्थाओं पर विभागीय बजट से बाढ़ की स्थिति में पशु बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक एवं अन्य औषधियों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित की जाय तथा विभागीय बजट अपर्याप्त होने की स्थिति में अपने जनपद की आवश्यकता के अनुरूप औषधियों/वैक्सीन के क्रय हेतु आवश्यक बजट का मांग पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर जनपदीय आपदा प्रबन्धन समिति के अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार वांछित मात्रा में औषधियॉ, वैक्सीन आदि का क्रय करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय। उतनी मात्रा में ही औषधि आदि क्रय की जाय कि उनका उपयोग हो सके तथा दवाईयों की एक्सपायरी लम्बी हो जिससे आपदा काल में दवा निस्प्रयोज्य न हो सके।

(च) पशुओं की सुरक्षा – सम्भावित बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे ऊँचे स्थानों का चयन अभी से कर लिया जाय, जहॉ पर बाढ प्रभावित पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके, जहॉ सियार एवं जहरीले सांप आने की सम्भावना न्यूनतम रहे तथा औषधि आदि को सीलन से सुरक्षित रखा जा सके। यह कार्य जिला प्रशासन एवं जन सहयोग से किया जाना सुनिश्चित करें पशुओं को बाडे बनाकर उसमें रखे तथा उसका गेट ऊंचे स्थान पर ही बनाये, जिससे पानी आने पर स्वयं ही बचाव कर सके । गेट की चौडाई इतनी हो कि दो पशु आसानी से एक साथ निकल सके।

(2) पशु राहत शिविर – आपदा के दौरान राहत शिविर की व्यवस्था बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में की जाय, जिसमें पानी, दाने एवं चारे की उपलब्धता हो तथा चिकित्सा एवं अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहे। इस कार्य हेतु भारत सरकार के नवीनतम राहत मानक दिनांक 8.4.2015 के अनुसार बडे पशु के लिए रू0 70.00 प्रतिदिन प्रति पशु एवं छोटे पशु के लिए रू0 35.00 प्रतिदिन प्रति पशु की अनुमन्यता की गयी है। यह धनराशि राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है। यह सुविधा शिविर के अतिरिक्त पशु रखे गये अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होती है।

(3) पशुपालको से शासकीय शुल्क की वसूली स्थगित करना – आपदा के दौरान पशु बीमारी होने के पश्चात टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। अतः आपदा से बचाव की स्थिति में पशु उपचार हेतु शासकीय शुल्क की वसूली पशुपालको से न करने के आदेश जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत कराने को प्रयास सुनिश्चित करें। इस हेतु पूर्व शासनादेश के साथ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–199/राहत आयुक्त/2012–13, दिनांक 13.3.2013 का संदर्भ ग्रहण करें। पशुधन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश दिनांक 4.3.2013 द्वारा टीकाकरण शुल्क माफ किया जा चुका ह। टीकाकरण पर कोई भी धनराशि पशुपालक से नहीं ली जाय, का अनुश्रवण एवं परिपालन भी करायें।

(ब) बाढ़ के दौरान बाढ़ राहत कार्यों का अनुश्रवण– तहसील स्तर पर उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं मण्डल स्तर अपर निदेशक, अपने क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों का अनुश्रवण करें तथा जनपद/मण्डल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित करते हुए उत्तरदायी अधिकारी/अधिकारियों की तैनाती की जाय। निदेशालय का आपातकालीन कन्ट्रोल रूम नं – 0522–2741991–92 है, जो प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कार्यशील रहता है, जिसका टोल फ्री नं0 – 1800–180–5141 है।

बाढ़ के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर बाढ़ घोषित होने/बाढ़ आने पर दैनिक सूचना से निदेशालय या कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए लिखित रूप से भी प्रतिदिन समय 05.00 बजे सायं तक सूचना फैक्स के माध्यम से प्रेषित की जाय। यह कार्य मण्डलीय पशुपालन अधिकारी के नियन्त्रण में जनपदीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी को उपलब्ध सूचना तथा निदेशालय को उपलब्ध सूचना में भिन्नता न होने पाये, ऐसा सुनिश्चित करें।

पशुओं में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी अथवा अन्य सूचनाओं से निदेशालय को तत्काल अवगत कराया जाय, जिससे इस स्तर से भी तत्काल प्रभावी कार्यवाही करना सम्भव हो सके। आप द्वारा बाढ़ राहत कार्यों में तैनात किये गये समस्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदत्त कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आपदा राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण कराना आपका नैतिक कर्तव्य है। अद्यतन स्थिति से निदेशालय को भी सूचित करना आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रहेगा। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में /बीमारी फैलने पर अधोहस्ताक्षरी को भी अपरिहार्य स्थिति में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

क्योटो जापान में आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन का यह सुनिश्चित मत है कि आपदा प्रभावित को भी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। जनपदीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना तैार कर इसकी एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय

(डा0 ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

संख्या– 163 /ईपीडी0/बाढ़ प्रबन्धन दिशा–निर्देश /2017–18 दिनांक 9-6-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3– राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
5– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6– संयुक्त सचिव (पशु स्वास्थ्य), कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग, नई दिल्ली।
7– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पशुधन एवं लघु सिचांई, उ0प्र0 सरकार को महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र